MANOHAR PARRIKAR INSTITUTE FOR DEFENCE STUDIES AND ANALYSES
मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान

MP-IDSA
Issue Brief

पाकिस्तान में आम चुनाव एवं सरकार गठन: एक विश्लेषण

आशीष शुक्ल

मार्च 19, 2024

सारांश

प्रमुख विपक्षी दल पी.टी.आई. ने 8 फरवरी 2024 को हुए आम चुनावों में बड़े स्तर पर धांधली का आरोप लगाते हुए इस्लामाबाद की केंद्र सरकार को जनमत चोर की संज्ञा दी है| पी.एम.एल.-एन. के शाहबाज़ शरीफ के नेतृत्व में गठित यह सरकार वास्तव में एक अल्पमत की सरकार है जिसे पी.पी.पी. ने बाहर से समर्थन दिया है| इस सरकार की स्थिरता पी.पी.पी. की बैसाखी के साथ-साथ सुरक्षा अधिष्ठानों के आशीर्वाद पर निर्भर मानी जा रही है| वर्तमान समय में पाकिस्तान के समक्ष उपस्थित चुनौतियों की प्रकृति को देखते हुए यह कहना अतिसंयोक्ति न होगा कि शाहबाज़ शरीफ के सर पर कांटो का ताज सुसज्जित है जिसे हवा का एक मामूली झोंका भी आसानी से गिरा सकता है|

काफी उठा-पटक, अनिश्चितताओं, एवं आरोप-प्रत्यारोपों के बीच 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में आम चुनाव संपन्न हुए| हालाँकि, हमेशा की तरह इस बार भी चुनाव में बड़े स्तर पर धांधली के आरोप लगाए गए हैं जो प्रथमदृष्टया कुछ हद तक सही प्रतीत होते हैं| पाकिस्तान में चुनावी प्रक्रिया और उसके परिणाम हमेशा विवाद का विषय रहे हैं| पिछले साढ़े सात दशकों से अधिक समय में पाकिस्तान में कुल 12 आम चुनाव हुए जिनके माध्यम से लोगों ने अपने प्रतिनिधियों को वहाँ की नेशनल असेम्बली और प्रांतीय असेम्बलियों के लिए चुनकर भेजा| पाकिस्तान में पहले आम चुनाव, जो दिसम्बर 1970 में हुआ, को अब तक का सबसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव माना जाता है| इस चुनाव में शेख मुजीबुर्रहमान की आवामी लीग को नेशनल असेम्बली की 160 सीटों पर जीत मिली जबकि जुल्फिकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पी.पी.पी.) को केवल 81 सीटों से संतोष करना पड़ा था|

गौरतलब है कि इन दोनों राजनीतिक दलों को जिन सीटों पर जीत मिली थी वह पाकिस्तान के दो अलग-अलग भागों से आयी थीं| आवामी लीग की सारी-की-सारी सीटें पूर्वी पाकिस्तान (जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है) में स्थित थीं, जबकि पी.पी.पी. की सभी सीटें पश्चिमी पाकिस्तान (वर्तमान पाकिस्तान) से थीं| संसदीय शासनप्रणाली में सर्वाधिक सीटें होने के बावजूद जुल्फिकार अली भुट्टो और पाकिस्तानी सुरक्षा अधिष्ठानों के शीर्ष पर विराजमान जनरल याह्या खान की मिलीभगत ने जनमत की अवमानना करते हुए आवामी लीग को सरकार बनाने से रोक दिया जिसकी परिणति पूर्वी पाकिस्तान में सेना द्वारा निरीह बंगालियों का नरसंहार, भारत-पाकिस्तान युद्ध और अंततः बांग्लादेश की स्वतंत्र उत्पत्ति के रुप में हुई|

तब से लेकर आज तक पाकिस्तान के इतिहास में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष आम चुनाव संपन्न नहीं हो सके| चुनावों में व्यापक स्तर पर धांधली होना तथा चुनाव पश्चात किसी दल विशेष के पक्ष में परिणामों में हेर-फेर और जोड़-तोड़ करके उसकी सरकार गठित करवा देना अब एक स्थापित प्रवृत्ति बन चुका है| हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में भी इसकी मिसाल स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है| फरवरी 2024 के चुनाव एक ऐसे समय में संपन्न हुए जब पाकिस्तानी समाज में व्याप्त ध्रुवीकरण एक नई ऊँचाई पर था एवं चारों तरफ अनिश्चिताताओं का बोल-बाला था| इन सबके बीच पाकिस्तान में सर्वाधिक ताकतवर संस्थान–पाकिस्तानी सेना–ने अपनी प्राथमिकताएँ सपष्ट कर दी थी| जनरल आसिम मुनीर के नेतृत्व

में सुरक्षा अधिष्ठानों ने इमरान खान, जो एक समय में पाकिस्तानी सेना के सबसे पसंदीदा राजनेता थे तथा जिन्हें सत्ता में लाने के लिए बहुत से अलोकतांत्रिक खेल खेले गए थे, को हर हाल में सत्ता से बाहर रखने को ठान लिया था| इस कार्ययोजना में एक तरफ तो इमरान खान सहित पी.टी.आई. के पहली एवं दूसरी कतार के नेताओं को या तो जेल भेज दिया गया था या उन पर दबाव बनाकर उन्हें किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल करवा दिया गया था अथवा उन्हें राजनीति से ही संन्यास लेने को विवश कर दिया गया था| वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज़ (पी.एम.एल.-एन.) के स्व-निर्वासित नवाज़ शरीफ की न केवल वतन वापसी करायी गयी बल्कि उनके रास्तों के कानूनी काँटों को एक-एक करके हटाते हुए उन्हें आम चुनावों में भाग लेने के लिए पुनः योग्य घोषित किया गया| जिस तरह से जल्दबाजी में यह सब किया गया उससे पाकिस्तान में न्यायपालिका समेत अन्य अनेक संस्थाओं, जिनमें नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एन.ए.बी.) भी शामिल हैं, की कलई खुलकर सामने आ गयी|

चुनाव परिणाम

पिछले वर्ष में जनगणना होने के कारण हुए परिसीमन के उपरांत इस बार नेशनल असेम्बली में कुल 336 सीटें निर्धारित की गई थीं जिनमें से 266 सीटों पर प्रत्यक्ष चुनाव होने थे जबकि महिलाओं के लिए आरक्षित 60 एवं गैर-मुस्लिमों के लिए अरक्षित 10 सीटों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राजनीतिक दलों को उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होने वाले चुनाव में किए गए प्रदर्शन के आधार पर आवंटित किया जाना था| यहाँ यह कहना कतई अतिसंयोक्ति नहीं होगा कि फरवरी 2024 का आम चुनाव विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा न होकर पी.टी.आई. और पाकिस्तानी सुरक्षा अधिष्ठानों के मध्य एक तरह का संघर्ष था| सामान्य तौर पर चुनावों के दौरान होने वाली बड़ी-बड़ी रैलियां जिनमें रंग-बिरंगे झंडे, बैनर और पोस्टरों का समावेश होता है, की अनुपस्थिति शिद्दत से महसूस की गयी| इसके पीछे मुख्य रूप से सबसे बड़े विपक्षी दल पी.टी.आई. पर सुरक्षा अधिष्ठानों द्वारा की गयी कड़ाई तथा पी.एम.एल.-एन. को मिल रही सहूलियतों के साथ ही हिंसा का भय तथा आतंकवादी गतिविधियों का खतरा भी शामिल था| पाकिस्तान में सुरक्षा अधिष्ठानों के दबदबे और उनके

द्वारा आम चुनावों में किए जाने वाले हस्तक्षेप के इतिहास को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इमरान खान की पी.टी.आई. का राजनीतिक अवसान नजदीक है| लेकिन शायद पाकिस्तान की जनता, विशेषकर इमरान खान के समर्थकों, को फिलवक्त यह गवारा नहीं था| अनेक मुश्किलों के बावजूद, जिसमें पी.टी.आई. से ऐन वक्त पर उसका चुनाव चिह्न–क्रिकेट बैट–छीन लेना भी शामिल था, वहाँ के लोगों ने पी.टी.आई. के स्वतंत्र उम्मीदवारों को वोट देकर उन्हें नेशनल असेम्बली में सबसे बड़े समूह के रूप में स्थापित कर दिया|

धांधली के आरोपों के बीच जारी किए गए चुनाव परिणामों ने सभी राजनीतिक दलों को चौंका दिया क्योंकि जिस पी.टी.आई. के अवसान की घोषणा की जा रही थी उसके 92 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी तथा जिस पी.एम.एल.–एन. को सबसे अधिक सीटें मिलने की आशा थी उसे 75 सीटों से संतोष करना पड़ा था| इसके बाद आसिफ अली जरदारी तथा बिलावल भुट्टो की पी.पी.पी. को 54 सीटें मिलीं जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट (एम.क्यू.एम.) को 17 सीटों पर सफलता मिली| गैर-पी.टी.आई. स्वतंत्र उम्मीदवारों के हिस्से में 9 सीटें आईं तो वहीँ मौलाना फजलुर रहमान की जमियत-ए-उलेमा-ए-इस्लाम (जे.यू.आई.–एफ) को 4 सीटों पर जीत हासिल हुई जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग–क्यू को 3 सीटें मिली| जहाँगीर तरीन खान, जिन्होंने सेना से आशीर्वाद के उपरांत एक नए राजनीतिक दल का गठन किया था, की इस्तेहकाम-ए-पाकिस्तान पार्टी (आई.पी.पी.) को दो सीटों पर सफलता मिली तथा पाकिस्तान मुस्लिम लीग-जिया (पी.एम.एल.–जेड), मजलिस-ए-वहादत-ए-मुस्लिमीन (एम.डब्ल्यू.एम.), जिसे पी.टी.आई. का सहयोग हासिल था, पख्तुन्ख्वा नेशनल आवामी पार्टी (पी.एन.ए.पी.), बलूचिस्तान आवामी पार्टी (बी.ए.पी.), पख्तुन्ख्वा मिली आवामी पार्टी (पीके.एम.ए.पी.), एवं नेशनल पार्टी (एन.पी.) को एक-एक सीटें मिलीं| एक सीट पर उम्मीदवार की मौत हो जाने के कारण चुनाव नहीं हुआ तथा एक सीट पर अंतिम परिणाम घोषित नहीं किए गए|

वैसे तो दक्षिणपंथी धार्मिक राजनीतिक दलों का प्रदर्शन नेशनल असेम्बली में सीटों के लिहाज से काफी निराशाजनक रहा लेकिन फिर भी कुछेक को अच्छी खासी मात्र में मत मिले| उदाहरण के लिए बरेलवी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाली तहरीक-ए-लब्बैक (टी.एल.पी.) को किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली लेकिन चुनाव आयोग द्वारा जारी सभी फॉर्म-47 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि कम से

कम 10 सीटों पर इसने पी.एम.एल.-एन. के उम्मीदवारों को बड़ा नुकसान पहुँचाया है|[1] इन सीटों पर इसे पी.टी.आई. के विजयी स्वत्रंत उम्मीदवारों तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले पी.एम.एल.-एन. के उमीदवारों के बीच मतों के अंतर से बहुत अधिक मत मिले हैं| यह सीटें हैं; एन.ए. 79, एन.ए. 81, एन.ए. 86, एन.ए. 97, एन.ए. 111, एन.ए. 121, एन.ए. 133, एन.ए. 142 और एन.ए. 154.[2] चूँकि पहले बरेलवी विचारधारा वाले लोग पी.एम.एल.–एन. को अपना मत दिया करते थे इसलिए यह माना जा सकता है कि यदि टी.एल.पी. इस चुनाव में हिस्सा न लेती तो यह मत पी.एम.एल.-एन. के खाते में जाते और वह सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभर कर सामने आती और पी.टी.आई. के स्वतंत्र उम्मीदवारों का समूह दूसरे स्थान पर होता|

जहाँ तक प्रांतीय असेम्बलियों का प्रश्न है वहाँ जनता ने स्पष्ट रूप से विभाजित जनादेश दिया| पंजाब में पी.एम.एल.-एन, सिंध में पी.पी.पी. तथा खैबर पख्तुन्ख्वा में पी.टी.आई. के स्वतंत्र उम्मीदवारों को एक तरह से स्पष्ट बहुमत दिया जबकि बलूचिस्तान में पी.पी.पी., पी.एम.एल.-एन. तथा जे.यू.आई.-एफ. को क्रमशः 11, 10, एवं 11 सीटें दी हैं| इस तरह पंजाब, सिंध एवं खैबर पख्तुन्ख्वा में स्पष्ट बहुमत की सरकारों के बनाने का रास्ता साफ़ हुआ तो वहीँ बलूचिस्तान में मिली-जुली सरकार बनाने की संभावना बनी|

सरकार गठन में सैन्य हस्तक्षेप

नेशनल असेम्बली में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर इस्लामाबाद की गद्दी पर भी मिली-जुली सरकार बनना तय था| यद्यपि पी.एम.एल.-एन. एवं पी.टी.आई. दोनों ने सबसे बड़े राजनीतिक दल होने का दावा किया लेकिन वास्तविकता यह थी कि दोनों में से कोई भी स्वयं सरकार बनाने की स्थिति में नहीं था| ऐसी स्थिति में सुरक्षा अधिष्ठानों के हस्तक्षेप के बाद पी.एम.एल.-एन. एवं पी.पी.पी. के बीच छः दौर की बातचीत के बाद यह तय हो पाया कि पी.पी.पी. पी.एम.एल.-एन. को

[1] Data complied from Form-47 available on the official website of **"Election Commission, Pakistan"**.

[2] Ibid.

सरकार बनाने में बाहर से समर्थन देगी| गौरतलब है कि जब पाँच बैठकों में भी कोई स्पष्ट सहमति नहीं बन पायी तो पाकिस्तानी सेना ने दोनों दलों को चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हालत में 20 फरवरी तक सरकार बनाने का ढांचा सामने रखो नहीं तो हम स्वयं आपके साथ बैठकर इस पर अंतिम निर्णय कर देंगे|[3] इसके बाद 20 फरवरी की रात में ही सरकार बनाने के एक ढाँचे पर अंतिम सहमति बन गयी|

यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि बिलावल भुट्टो ने पहले से ही यह स्पष्ट कर दिया था कि वह नवाज़ शरीफ को एक और बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं| अब चूँकि पी.एम.एल.-एन. को पर्याप्त सीटें भी नहीं मिली थीं इसलिए नवाज़ शरीफ ने अपने छोटे भाई शाहबाज़ शरीफ का नाम अगले प्रधानमंत्री के रुप में आगे बढाया| बात-चीत के दौरान यह भी तय किया गया कि दोनों दल संयुक्त रूप से आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाएँगे तथा नेशनल असेम्बली में स्पीकर पद पर पी.एम.एल.-एन. के उम्मीदवार को समर्थन किया जाएगा तथा डेप्युटी स्पीकर का पद पी.पी.पी. के खाते में जाएगा| इसी तरह, सीनेट चेयरमैन के पद पर पी.पी.पी. के उम्मीदवार को समर्थन मिलेगा जबकि डेप्युटी चेयरमैन का पद पी.एम.एल.-एन. के हिस्से में आएगा|[4]

धांधली का शोर

जैसा कि पहले भी स्पष्ट किया गया है कि पाकिस्तान में चुनावों का एक दागी इतिहास रहा है जहाँ एक स्वस्थ राजनीतिक वातावरण में समान अवसरों के बीच स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न करना काफी मुश्किल है| हर बार की तरह इस बार भी चुनाव परिणामों की घोषणा के साथ ही हर तरफ धांधली का शोर है जो समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है| पी.टी.आई. ने चुनाव आयोग पर बड़े पैमाने में गड़बड़ी करते हुए नतीजे चोरी करने का आरोप लगाया है| प्रारंभिक तौर पर जब 8 फरवरी 2024 की शाम को नतीजे आने शुरू हुए तो पी.टी.आई. के बहुत से उम्मीदवार अपने विरोधी उम्मीदवारों से

[3] **"Shehbaz PM, Zardari President as PML-N, PPP set to form Govt | Neutral by Javed Chaudhry"**, YouTube, 1 March 2024.

[4] Ibid.

काफी आगे चल रहे थे लेकिन देर रात चुनाव आयोग ने इस सन्दर्भ में जानकारी देना रोक दिया| इसके अगले दिन जब फिर से नतीजे आने शुरू हुए तो पी.टी.आई. ने आरोप लगाना आरंभ कर दिया कि कैसे फॉर्म-45 के आधार पर उसके जीते हुए उम्मीदवारों को फॉर्म-47 के नतीजों में हारा हुआ घोषित कर दिया गया है| यहाँ यह बताना आवश्यक है कि पाकिस्तान में मतों की गिनती का काम पोलिंग स्टेशन पर ही होता है तथा वहीं पर सभी पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म-45 की एक प्रति दी जाती है जिसमें उस पोलिंग स्टेशन पर पड़े मतों तथा उम्मीदवारों को मिले मतों समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां अंकित होती हैं| बाद में इन सभी फॉर्म-45 को रिटर्निंग ऑफिसर के पास भेजा जाता है जो इनको मिलाकर अस्थायी नतीजे तैयार करता है और फॉर्म-47 में इससे सम्बंधित जानकारी अंकित करता है| पी.टी.आई. का आरोप है कि बहुत से निर्वाचन क्षेत्रों में फॉर्म-47 में दर्ज आकड़े उसके अंतर्गत आने वाले सभी पोलिंग स्टेशनों से प्राप्त फॉर्म-45 से भिन्न हैं| इन निर्वाचन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण नेताओं, जिसमें नवाज़ शरीफ भी हैं, के निर्वाचन क्षेत्र भी शामिल हैं|

आरक्षित सीटों के बँटवारे पर जद्दोजहद

इस बीच पी.टी.आई. के लगभग सभी स्वतंत्र उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल (एस.आई.सी.) में शामिल होने का शपथपत्र दे दिया|[5] ऐसा करने की पीछे दो कारण थे; पहला यह कि इससे खैबर पख्तुन्ख्वा में सरकार बनाने में कोई अड़चन न आये और दूसरा कि इससे नेशनल असेम्बली एवं प्रांतीय असेम्बलियों में महिलाओं एवं गैर-मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीटों पर दावा किया जा सके| पाकिस्तानी सदनों में महिलाओं एवं गैर-मुस्लिमों के लिए आरक्षित सीट कानूनन केवल किसी राजनीतिक दल को ही आवंटित की जा सकती हैं| चूँकि चुनाव चिह्न छिन जाने के कारण पी.टी.आई. के सारे उमीदवार स्वतंत्र हो गए थे इसलिए ऐसा करना आवश्यक था| चुनाव आयोग ने जब आरक्षित सीटों का बंटवारा किया तो उससे एस.आई.सी. को इससे बाहर रखा क्योंकि उनकी तरफ से तय समय सीमा में आरक्षित सीटों के लिए नामों की सूची जमा नहीं कराई गयी थी| हालाँकि पहले चरण में बंटवारे के समय जब

[5] Waqas Ahmed, **"PTI Gambit Ahead of Reserved Allotment"**, *The Express Tribune*, 21 February 2024.

पी.एम.एल-एन., पी.पी.पी., एम.क्यू.एम. सहित अन्य दलों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर सीटें आवंटित की तो एस.आई.सी. के तथाकथित हिस्से की 22 महिला एवं 3 गैर मुस्लिम सीटें खाली रखी थीं| इस तरह पहले पी.एम.एल.-एन. को 19 महिला एवं 4 गैर-मुस्लिम सीटें दी गईं, पी.पी.पी. को 12 महिला तथा 2 गैर-मुस्लिम सीट मिली, जबकि एम.क्यू.एम. को 4 महिला एवं 1 गैर-मुस्लिम सीट प्राप्त हुई|[6] इसी प्रकार जे.यू.आई.-ऍफ़, पी.एम.एल.-क्यू एवं आई.पी.पी. को एक-एक महिला सीट मिली| लेकिन बाद में बाकी बची सीटों का बँटवारा भी अन्य राजनीतिक दलों के बीच कर दिया गया जिसको लेकर पी.टी.आई. ने पेशावर उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की| इस मामले में पेशावर उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त आरक्षित सीटों (जिस पर सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल का दावा है) के लिए होने वाले शपथग्रहण पर रोक लगा दी|[7] लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने पी.टी.आई. की याचिका को "नॉन क्युरेबल लीगल डिफेक्ट" बताते हुए 4-1 के निर्णय से रद्द कर दिया|[8] अब पी.टी.आई. इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने की तयारी में है|

नयी सरकार का अस्तित्व एवं चुनौतियाँ

पी.पी.पी. एवं पी.एम.एल.-एन के बीच बनी सहमति के अनुसार पी.पी.पी. ने सरकार में प्रत्यक्ष रूप से शामिल न होने का फैसला करते हुए पी.एम.एल.-एन. की सरकार को बाहर से समर्थन देने की बात की है| चुनाव के उपरांत संविधान द्वारा निर्धारित समय में 29 फरवरी 2024 को नेशनल असेम्बली की पहली बैठक राजा परवेज़ अशरफ की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिसमें सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई गयी| इसके बाद 1 मार्च को हुई बैठक में नेशनल असेम्बली के स्पीकर तथा डेप्युटी स्पीकर के पदों पर चुनाव हुए जिसमें पी.एम.एल.-एन. के अयाज सादिक तथा पी.पी.पी. के गुलाम मुस्तफा शाह को क्रमशः जीत हासिल हुई|[9] पी.एम.एल.-एन. के अयाज़ सादिक को कुल डाले गए 291

[6] **"ECP Distributes 45 NA Reserved Seats"**, *The Express Tribune*, 24 February 2024.

[7] **"PHC Stops Oath-taking on Reserved Seats"**, *The Express Tribune*, 6 March 2024.

[8] **"PTI to Challenge PHC Decision on Reserved Seats"**, *The Express Tribune*, 11 March 2024.

[9] Nadir Guramani, **"Allied Parties Clinch Speaker, Deputy Slots in National Assembly"**, *The Dawn*, 1 March 2024.

मतों में से 199 मत प्राप्त हुए जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल के आमिर डोगर को 91 मतों से संतोष करना पड़ा|[10] इसी तरह पी.पी.पी. के मुस्तफा शाह को 197 मत मिले जबकि सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल के जुनैद अकबर को केवल 92 मत प्राप्त हुए|[11] इसी क्रम में 3 मार्च को नेशनल असेम्बली में प्रधानमंत्री के लिए जब चुनाव हुए तो उसमें शाहबाज शरीफ को 201 मत प्राप्त हुए जबकि उनके प्रतिद्वंदी सुन्नी इत्तेहाद काउन्सिल के ओमर अयूब, जो पाकिस्तान के पहले सैन्य शासक फील्ड मार्शल अयूब खान के नाती हैं, को केवल 92 मत प्राप्त हुए|

चुनावी नतीजों का शोर अब थम चुका है और सरकार के समक्ष चुनौतियों का अम्बार लगा हुआ है| इनमें प्रमुख रूप से देश की डूबती अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना, राजनीतिक स्थायित्व बरक़रार रखना, आतंरिक एवं वाह्य सुरक्षा सम्बन्धी मसलों पर निर्णायक कदम उठाना, तथा विश्व के अन्य महत्वपूर्ण देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना शामिल है|

निष्कर्ष

पाकिस्तान में हाल ही में संपन्न चुनावों ने न केवल वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था की कुछ कड़वी सच्चाइयों को फिर से उजागर किया है बल्कि देश के महत्वपूर्ण संस्थानों की कार्यप्रणाली की कलई भी खोलकर रख दी है| यह अब किसी से छिपा नहीं है कि किस तरह से देश के ताकतवर सुरक्षा अधिष्ठानों ने न केवल चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करते हुए उसे प्रभावित किया बल्कि चुनाव बाद किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की दशा में पी.एम.एल.-एन. एवं. पी.पी.पी. के बीच समझौते के माध्यम से एक मिली-जुली सरकार के अस्तित्व में आने में अपनी भूमिका निभाई| वर्तमान समय में पाकिस्तान के समक्ष उपस्थित चुनौतियों में प्रमुख रूप से देश की अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना, सामाजिक विद्वेष को कम करना, राजनीतिक स्थायित्व बरक़रार रखने के साथ ही आतंरिक सुरक्षा, विशेषकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के पुनरोदय के सन्दर्भ में, के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करना

[10] Ibid.

[11] Ibid.

शामिल है| इसके अतिरिक्त बदलती हुई भू-राजनतिक परिस्थितियों में देश के हितों के अनुरूप विदेशनीति का निर्माण एवं उसका क्रियान्वयन करना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला है|

शाहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली यह सरकार वास्तव में एक अल्पमत की सरकार है जिसका राजनीतिक जनाधार काफी कमजोर है| पी.पी.पी. के द्वारा बाहर से दिए गए समर्थन के कारण यह सरकार महत्वपूर्ण एवं कड़े निर्णय लेने में स्वयं सक्षम नहीं है| इसे हर कदम पर पी.पी.पी. की बैसाखी की जरुरत पड़ेगी और यह कहना अनुचित नहीं होगा कि यह बैसाखी भी सुरक्षा अधिष्ठानों के आशीर्वाद की मोहताज रहेगी| गौरतलब है कि पाकिस्तान में आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने अपना निर्धारित पाँच साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है| वर्तमान समय में जारी राजनीतिक अस्थिरता एवं अन्य चुनौतियों को देखते हुए बहुत से राजनीतिक पंडितों ने इस सरकार को अधिकतम दो वर्ष का समय दिया है| शाहबाज़ शरीफ पाकिस्तान के 24वें प्रधानमंत्री हैं और यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि क्या वह अपना यह कार्यकाल पूरा कर पाते हैं|

About the Author

Dr. Ashish Shukla is Associate Fellow at the Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses, New Delhi.

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses is a non-partisan, autonomous body dedicated to objective research and policy relevant studies on all aspects of defence and security. Its mission is to promote national and international security through the generation and dissemination of knowledge on defence and security-related issues.

Disclaimer: Views expressed in Manohar Parrikar IDSA's publications and on its website are those of the authors and do not necessarily reflect the views of the Manohar Parrikar IDSA or the Government of India.

© Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses (MP-IDSA) 2024

Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses
1, Development Enclave, Rao Tula Ram Marg
New Delhi 110 010 India
T +91-11-2671 7983 F +91-11-2615 4191
www.idsa.in
Twitter @IDSAIndia
www.facebook.com/ManoharParrikarInstituteforDefenceStudiesAnalyses